कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2384 / 11–सी–FP/UP/Others/39403/2019, लखनऊ, दिनांकः जून 18, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत मे0 रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रदत्त कुल 126.27 हे0 में से 61.2348 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज को आगामी 10 वर्षों के लिये (दिनांक 21.06.2019 से 20.06.2029 तक) नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0–**FP/UP/Others/39403/2019**)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–5488 / मी0क्षे0 / 33, दिनांक 12.06.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ / अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु रिपोर्ट में भारत सरकार / राज्य सरकार के पत्रांक व दिनांक त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया प्रतीत होता है। अतः इसे संशोधित कर ऑनलाइन भाग–2 कमांक 15 में भी संलग्न करें।
2. परियोजना में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः परियोजना में प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र स्पस्ट रूप से संलग्न नही है।
3. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की गणना की दर प्रस्ताव में उल्लिखित इको क्लास व हरियाली घनत्व के अनुसार नहीं है। अतः इको क्लास व हरियाली घनत्व के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 दर का उल्लेख करते हुए लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–1 में अपलोड करें।
4. एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की गणना की दर प्रस्ताव में उल्लिखित इको क्लास व हरियाली घनत्व के अनुसार नहीं है। अतः सही इको क्लास व हरियाली घनत्व के अनुसार सही एन0पी0वी0 की दर से संशोधित एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
5. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल चिन्हित नहीं किया गया है।
6. प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं किया गया है।
7. हार्डकापी भाग–2 से सम्बन्धित सभी 13 विन्दुओं का विवरण अंकित नहीं किया गया है। अतः हार्डकापी भाग–2 से सम्बन्धित सभी 13 विन्दुओं का विवरण अंकित करते हुए संशोधित हार्डकापी भाग–2 संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
8. प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण व वन विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर व मुंहर अंकित है किन्तु उनके नाम अंकित नहीं किये गये है।
9. प्रस्ताव में मूल लीज की सैद्धान्तिक स्वीकृत के पत्र दिनांक 20.11.1995 की छायाप्रति एवं प्रथम लीज नवीनीकरण के सैद्धान्तिक स्वीकृत के पत्र दिनांक 13.02.2017 की सत्यापित छायाप्रति संलग्न नहीं है।
10. पूर्व में ऑनलाइन अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन से डिलिट करते हुये उपरोक्तानुसार संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

18/6

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2384/11–सी– FP/UP/Others/39403/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, अधिकृत हस्ताक्षरी, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट।

18/6

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 5607 / मी0/33/50 जून 19 2019

Ack-1439